

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

आबकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

विषय : आबकारी विभागान्तर्गत सहायक लेखाकारों का वेतनमान उच्चिकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-9422/अधि०एक०-/सहा०लेखाकार/वेतन-2018 दिनांक 22 जून 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में अन्य विभागों की भांति आबकारी विभाग में भी सहायक लेखाकार का अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2400 से वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2800 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-5) में उच्चिकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आबकारी विभागान्तर्गत स्वीकृत सहायक लेखाकार पद के अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2400 को शासनादेश निर्गत करने की तिथि से वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2800 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-5) में उच्चिकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त पद की शैक्षिक योग्यता एवं भर्ती का स्रोत भी अन्य समकक्ष सहायक लेखाकार के समान रखा जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-601 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 708 (1) / XXIII / 2018 / 46 / 2007 तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, सचिवालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शासनादेश सार्वजनिक किये जाने हेतु तत्काल शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
उप सचिव